संख्या-११४/२०१६/2993/52-1-2016-01(131)/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक १४ दिसम्बर, 2016

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत **जनपद-सीतापुर** के विकास खण्ड-लहरपुर के प्रहलादपुर में पेयजल आपूर्ति योजना के लिए केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्य को कराने हेतु **कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश जल निगम लि०, लखनऊ** को अधिकृत करते हुए अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(35)/2013-पी0पी0(पी०टी०), दिनांक 30.03.2016 से प्रश्नगत पेयजल आपूर्ति योजना के लिए कुल अनुमोदित लागत रू० 205.37 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त रू0 61,61,000/-(रू0 इकसठ लाख इकसठ हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश 41,07,500/-(रू0 इकतालीस लाख सात हजार पांच सौ मात्र) अर्थात कुल रू0 1,02,68,500/-(रू0 एक करोड़ दो लाख अड़सठ हजार पांच सौ मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 3000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू० 357.50 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त **प्रथम किश्त**		कुल अवमुक्त धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**सीतापुर**	वि०ख०-लहरपुर के प्रहलादपुर में पेयजल आपूर्ति ।	01	205.37	123.22	82.15	205.37	61.61	41.075	102.685
		योग	**01**	**205.37**	**123.22**	**82.15**	**205.37**	**61.61**	**41.075**	**102.685**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति यदि आवश्यक हो, प्राप्त करके ही किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य-मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रबन्ध निदेशक, **उ०प्र० जल निगम, लि० लखनऊ** को हस्तान्तरित की जायेगी। धनराशि अवमुक्त किये जाने की तिथि से कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को 06 माह में पूरा कर लिया जायेगा। कार्य को कुल अनुमोदित/स्वीकृत लागत से पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं प्रबन्ध निदेशक, **उ०प्र० जल निगम,लि० लखनऊ** के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4- मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, पेयजल आपूर्ति योजना के फोटोग्राफ्स तथा स्थल की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी।

5- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार आहरित कर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

6- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- पाइप पेयजल योजना के सम्बन्ध में शासन के सम्बन्धित विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल-रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना के अधिष्ठापन के मानक, क्षेत्रफल आदि वही प्रभावी रहेंगे, जो पेयजल आपूर्ति योजना के अधिष्ठापन से सम्बन्धित मूल विभाग में निर्धारित हैं।

8- पेयजल आपूर्ति योजना का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

9- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- उपरोक्त कार्य के बारे में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

11- उक्त के फल स्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- **0117-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना (के0 50-रा0 50)-24**-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त 1-अनुभाग (यकव्य-आय)के कार्यालय-1-0बी/2016/1-ज्ञाप संख्या-/746दस में निहित प्राविधानों के अनुसार 2016-03-22 दिनांक ,2016/231-2016-जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-2993(1)/बावन-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत विकास खण्ड-लहरपुर के प्रहलादपुर में पेयजल आपूर्ति योजना के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

6- प्रबन्ध निदेशक, **उ०प्र० जल निगम, लि० लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त धनराशि से प्रश्नगत विकास खण्ड-लहरपुर के प्रहलादपुर में पेयजल आपूर्ति योजना को निर्धारित समय में पूर्ण कराने का कष्ट करें।

7- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सीतापुर ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

10- वित्त-ई-11 को एक प्रति तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति।

11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in